

11.04.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2017 / 00250

अपील संख्या 135 / 2017 (223 आर.टी.ए)

उनवान:- नबाब सिंह बनाम सुगड़ सिंह

पत्रावली शीघ्र सुनवाई के प्रा० पत्र पर आज प्राप्त हुई है।
वकुलाय फरीकेन उप०। उभयपक्ष इस बात पर सहमत है कि
कुरेजात तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार नहीं हुए है अतः
अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दिया जाता है एवं प्रकरण इस
निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है कि उभयपक्ष की
उपस्थिति में तहसीलदार के व्यक्तिगत पर्ववेक्षण में कुरेजात तैयार
कर निर्णय पारित कर दिया जावे। उभयपक्ष 11.05.2018 को
अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

निर्णय सुनाया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर रहे।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official